Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

मोमिन अली वगै. पुत्र /पुत्रिया चिराग रोशन जाति दमामी निवासीगण सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर बनाम इब्राहिम खां वगै.

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 110/2023 U/S 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
31.07.2023	आज यह प्रार्थना पत्र मोमिल अली वगै. ने जरिये श्री के.के. पुरोहित अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरणं प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 311 तादादी 7.4400 हैक्टेयर वाकेरोही सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ में अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 23.08.2023 को आकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थी अधिवक्ता सीपासी आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 23.08.2023 को पेश हों । (signature) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
23.08.2023	पत्रावली पेश हुइ! आज बार सघ द्वारा कार्य स्थगित रखा गया है! पत्रावली वास्ते नोटिस Reg. AD. आयन्दा दिनांक 26.10.2023 को पेश हों। (signature)	
13.10.2023	आज यह पत्रावली [illegible] द्वारा मूल वाद को विड्रो [illegible] में [illegible] किया। मूल वाद [illegible] प्रार्थना पत्र को प्रार्थीगण [illegible] कोई पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र [illegible] कार्यवाही अपेक्षित न ही होने के कारण प्रार्थीगण कार्यवाही अपेक्षित न ही होने के कारण प्रार्थना पत्र नोट पेश के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तामील पूर्ति वाकिफ नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (signature)	Not Press K.K. Purohit

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2023.12.11 10:57:18 IST
Reason: SelfAttested